

शासकीय स्वशासी महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

क्र./

एन.एच.एम./2022

इन्दौर, दिनांक ____/____/2022

—: आदेश —:

(प्रतियोगी सूची से बर्नलीट)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा आधार पर रिक्त पदों हेतु विज्ञापन क्रमांक/1668/एन.एच.एम./2022 दिनांक 25.01.2022 जारी किया गया। विज्ञापन के तारतम्य में दिनांक 15.02.2022 को आयोजित मूल दस्तावेज परीक्षण (स्कूटनी) परचात गठित समिति द्वारा स्टाँफ नर्स एवं ओ.टी. टेक्नीशियन के पदों हेतु मेरीट सूची तैयार की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल के पत्र क्र./एनएचएम/एच.आर./2022/6436 दिनांक 15.09.2022 द्वारा अनुमोदन प्राप्ति उपरांत निम्नलिखित प्रतीक्षा सूची में अंकित अर्न्थियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये पदनाम अनुसार पदस्थापना चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के अंतर्गत महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय इन्दौर में शिशुरोग शल्य विनाग में पदस्थ करते हुये एन.एच.एम. की शर्तों के अधीन संविदा आधार पर निर्धारित मानदेय परकी जाती है :-

क्र	नाम	नियुक्ति श्रेणी	पदनाम	मानदेय राशि
1	Rahul Dangare	अनारक्षित	स्टाँफ नर्स (पी.एस.यु.)	20,000/- (बीस हजार रु)
2	Devdharam Waskale	अ.ज.जा.	ओ.टी.टेक्नीशियन (पी.एस.यु.)	15,000/- (पन्द्रह हजार रु)

संविदा सेवा शर्तें निम्नानुसार रहेगी :-

- संविदा अवधि आदेश जारी होने की दिनांक से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए रहेगी। समिति अपनी आवश्यकतानुसार एवं विवेक अनुसार नई अवधि के लिये नया अनुबंध कर सकेगी।
- संविदा में नियुक्त उम्मीदवार राज्य शासन के कर्मचारियों को लागू नियमों के अनुसार किसी भी प्रकार के भत्तों का हकदार नहीं होगा।
- संविदा में नियुक्त उम्मीदवार को संविदा राशि का भुगतान उन दिनों के लिए नहीं किया जायेगा, जिनमें वह कर्तव्य पर अनुपस्थित है।
- किसी आपराधिक कार्यकलाप में लिप्त होने की दशा में नियोजक को यह अधिकार है कि वह ऐसे संविदा में नियुक्त उम्मीदवार की संविदा सेवा तत्काल समाप्त कर दे।
- चयनित अर्न्थी, संविदा आदेश प्राप्त होने पर तत्काल प्राधिकारी के साथ 500 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध निष्पादित करेगा। अनुबंध के निष्पादन पर होने वाले व्यय चयनित अर्न्थी द्वारा वहन किया जाएगा। चयनित अर्न्थी, उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से, संविदा सेवा में माना जाएगा।
- संविदा में नियुक्त उम्मीदवार संविदा के आधार पर चिकित्सा सेवायें प्रदान करेंगे। समिति एवं संविदा में नियुक्त उम्मीदवार के मध्य नियुक्ता-कर्मचारी के संबंध नहीं होंगे। संविदा में नियुक्त उम्मीदवार निर्धारित सेवायें प्रदान करने के बदले में निर्धारित एक मुश्त राशि प्राप्त करेंगे। किसी भी स्थिति में उन्हें शासकीय सेवा की पात्रता हासिल नहीं होगी।
- संविदा में नियुक्त उम्मीदवार के लिए, यह अनिवार्य होगा कि वह संविदा आदेश के जारी होने के 15 दिन के भीतर, संविदा पदस्थापना के स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण करें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने की दशा में, संविदा स्वतः रद्द हो जाएगी। संविदा में नियुक्त उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की सूचना, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजी जाएगी।
- संविदा में नियुक्त उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जाएगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में, नियुक्तकर्ता प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति, बिना कोई कारण बतायें तुरन्त रद्द कर दी जाएगी।
- प्रथम मास के लिए संविदा राशि प्राप्त करने से पूर्व, संविदा में नियुक्त उम्मीदवार, स्वयं अपने व्यय पर, जिला चिकित्सा बोर्ड में चिकित्सीय परीक्षण करावाएगा। इस चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाए जाने पर ही संविदा वैध होगी।
- संविदा में नियुक्त उम्मीदवार की संविदा केवल किसी विशिष्ट स्थान के लिये होगी। किन्हीं भी परिस्थितियों में उसका स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा।
- संविदा में नियुक्त उम्मीदवार को एक अवधि के लिए केवल 15 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। महिला संविदा में नियुक्त उम्मीदवार जिसकी दो से कम जीवित संतान हो, अधिकतम नव्वे दिनों की कालावधि के प्रसूति अवकाश की हकदार होगी। उपरोक्त अवकाश स्वीकृत करने की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता को होंगी।
- यदि संविदा में नियुक्त उम्मीदवार बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह-से अधिक के लिये अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा, ऐसी अनुपस्थिति की तारीख से स्वतः समाप्त हुई मानी जाएगी।
- संविदा में नियुक्त उम्मीदवार उसकी संविदा कालावधि के लिये किन्हीं पेशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसी कालावधि के लिये कोई बोनस आदि देय नहीं होगा।
- संविदा में नियुक्त उम्मीदवार शासकीय सेवा में नियमितीकरण के लिये हकदार नहीं होगा।
- संविदा में नियुक्त उम्मीदवार यदि संविदा सेवा से त्याग पत्र देना चाहे तो उसे 01 माह की पूर्व सूचना अथवा 01 माह के मानदेय के समतुल्य राशि जमा करनी होगी। यदि चिकित्सालय प्रशासन या विभागाध्यक्ष द्वारा किसी संविदा में नियुक्त उम्मीदवार को सेवा से पृथक किया जाना हो तो उसके लिये 01 माह की पूर्व सूचना अथवा 01 माह के समतुल्य राशि का भुगतान किया जायेगा।
- कर्तव्य का पालन न करने अथवा निर्धारित लक्ष्य हासिल न करने अथवा उपरोक्त शर्तों का पालन न करने अथवा किसी कदाचार या किसी आपराधिक कार्यकलाप में लिप्त होने की दशा में नियोजक को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे संविदा में नियुक्त उम्मीदवार की संविदा सेवा समाप्त कर दें।
- संबंधित संविदा में नियुक्त उम्मीदवार को प्रतिमाह उनके किये गये कार्यों का ब्योरा निर्धारित प्रपत्र पर अपने कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा।

(डॉ. संजय दीक्षित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिष्ठाता

शास. स्व. म.गों. स्मू.चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 13/10/2022

पृ.क्र./ 16152-61 / एन.एच.एम./2022/

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
- आयुक्त चिकित्सा शिक्षा म.प्र.भोपाल।
- मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 8, अरेरा हिल्स जेलरोड भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक एन.एच.एम./एच.आर./रोल-3/2021 /217 दिनांक 05.01.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक म.य.चिकित्सालय इन्दौर।
- प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष फिडियाट्रिक सर्जरी/स्त्रीरोग एवं प्रसूति / एनेस्थेसिया विभाग।
- डॉ. त्रिजेश लाहोटी, प्राध्यापक फिडियाट्रिक सर्जरी (नोडल अधिकारी एन.एच.एम.)।
- संबंधित लेखा शाखा की ओर।
- Rahul Dangare पता:- पिता-यशवंत राव डागरे, 07 जिन्सी हाट मैदान इन्दौर म.प्र. पिन-452002।
- Devdharam Waskale पता:- पिता-गंगा राम, 34 गली न-2 ज्ञान आलोक स्कूल के पास सूर्या पैलेस इन्दौर म.प्र. पिन-452010।

(डॉ. संजय दीक्षित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिष्ठाता

शास. स्व. म.गों. स्मू.चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर